न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 119/2017 ::

अपीलांट :—

1. माधूसिंह पुत्र श्री गुदडसिंह
2. किरणसिंह पुत्र श्री गुदडसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र श्री गुदडसिंह
4. रूघनाथसिंह पुत्र श्री चावण्डसिंह
5. मूलसिंह पुत्र श्री चावण्डसिंह
6. तारूसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह
7. मोहनसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह

जातिगण राजपूत निवासीगण बस्सी
तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—
राज्य सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बोवरला।
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम।

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 31.01.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम माधूसिंह वगैरा आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरुद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा वक्त बहस निवेदन किया कि मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण में कृषि भूमि खसरा नं. 1258 रकबा 117 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1258/2 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1258/3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1260 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा, खसरा 1265 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 10 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 211 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। वादस्त भूमि अपीलान्टगण की पूर्वजों की खातेदारी पुस्तैनी भूमि है जिस पर अपीलान्टगण का कब्जा कास्त है। जैर अपील आराजी के संबंध में अपीलान्ट संख्या 6 व 7 के पिता शंकरसिंह के विरूद्ध पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज हुआ था जो बाद जांच न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 19.04.1971 को यह कहते हुए समाप्त कर दिया की भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 14.04.1980 के द्वारा नया सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत पुनः खोलने का आदेश देते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को प्राधिकृत करते हुए प्रकरण पुनः जांच कर निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने सीलिंग प्रकरण संख्या 211/94 में दिनांक 05.04.1995 को आदेश पारित करते हुए स्व. शंकरसिंह के पास सीलिंग सीमा से 212 बीघा 5 बिस्वा अधिक भूमि मानते हुए अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.04.1998 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जैतारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एकल पीठ में एक सीविल रीट याचिका संख्या 8095/2007 दर्ज की जाकर अपीलान्टगण की तामील होने के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का स्थगन खारिज किया। वर्तमान में याचिका विचाराधीन है जो डीयू कोर्स में है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय की पालना में जैर अपील आराजी 212 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नामान्तर करण स्वीकृत कर राज्य सरकार के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या अ/सं./129/95/सीलिंग/पाली बअनवान स्व. शंकरसिंह के कायम मुकाम बनाम राजस्थान सरकार पेश की जिसके निर्णय दिनांक 21.04.1998 के द्वारा न्यायालय

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर के सीलिंग प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 05.04.1995 को निरस्त कर दिया। लेकिन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 05.04.1995 के द्वारा भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो गयी थी उसे बाद में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.04.1998 की पालना में पुनः इन्द्राज नही होने से आज तक भूमि सिवाय चक राजस्थान सरकार के नाम ही दर्ज है। तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका डी्यू कोर्स में होने से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 05.04.1995 को अपास्त करते ही अपीलान्टगण विधि अनुसार स्वतः ही खातेदार कास्तकार हो चुके है। अपीलान्टगण द्वारा उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी तहसीलदार जैतारण द्वारा इन सभी को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध मनमाने तरिके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त फरमावें। तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पालना नहीं कर जैर अपील प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसे खारिज फरमाया जावे। पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्त न्यायालय में रिपोर्ट पेश की उसी दिन फसल नीलामी हेतु आदेश दे दिया जबकि अपीलान्ट को सुने बिना आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से भी खारिज योग्य है। सभी अपीलान्टगण के नाम एक ही नोटिस जारी कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को सभी के नाम पृथक–पृथक नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक था। इस प्रकार सम्यक् तामीली प्रक्रिया नहीं अपनाने से भी अपील खारीज योग्य है। अपीलान्ट संख्या 2 व 6 द्वारा उपस्थिति देकर जवाब पेश किया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट संख्या 2 व 6 की न तो उपस्थिति दर्ज की गयी न ही उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकार्ड पर लिया गया। न ही आगे तारिख पेशी के बारे में बताया गया एवं एकतरफा आदेश पारित कर दिया जिसे खारिज किया जावे साथ ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.04.1998 की पालना का भी आदेश दिलाया जावें।

सरकारी पैरोकार द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि ग्राम बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू के जैर अपील खसरा नम्बरान की भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर फसल बोने बाबत् रिपोर्ट विरूद्ध अपीलान्ट पेश की गयी। मातहत अदालत द्वारा जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं उनके द्वारा अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया गया। जो विधि सम्मत है। अगर प्रार्थी के हक में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्णय पारित किया है तो प्रार्थीगण को समयावधि में उक्त निर्णय की पालना हेतु सबंधित न्यायालय में इजराय प्रस्तुत कर पालना करवानी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलाधीन समस्त खसरा नम्बारान की भूमि सिवाय चक राज्य सरकार की खातेदारी भूमि खाता नम्बर 1 में दर्ज होने एवं उन पर अपीलान्टगण द्वारा अतिक्रमण कर फसल बोने के कारण रिपोर्ट पेश की गयी तथा तदानरूप ही मातहत अदालत द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह विधि सम्मत है। अपीलान्टगण द्वारा भी राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज होना स्वीकार करने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। जैर अपील भूमि जिस पर अपीलान्टगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है व राज्य सरकार के खाते में सिवाय चक भूमि दर्ज होने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण बाबत् रिपोर्ट पेश की गयी एवं उसी के क्रम में तहसीलदार जैतारण द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाकर उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जिस जवाब का उल्लेख अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में किया गया है उक्त जवाब मातहत अदालत की पत्रावली में पेश नहीं किया गया है न ही अपीलान्टगण की उपस्थिति ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में जवाब पेश करने बाबत् कथन को मानने का कोई सार्थक साक्ष्य नहीं है। जैर अपील आराजी बाबत् अगर अपीलान्ट के हक में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्णय पारित किया गया था तो उसके

क्रमश... .....3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पालनार्थ तहसीलदार जैतारण के समक्ष समायावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए था एवं तहसीलदार द्वारा पालना नहीं करने पर संबंधित न्यायालय में इजराय प्रस्तुत करने के लिए अपीलान्टगण स्वतन्त्र थे। वर्तमान में धारा 91 के तहत अतिक्रमण करने के पश्चात मातहत अदालत द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध निर्णय पारित करने के बाद उक्त निर्णय के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.04.1998 की पालना का अनुतोष 19 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में SB civil Writ No. 8095/2007 विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2017 बअनवान सरकार बनाम माधूसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)